<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपील/सीलिंग/709/2004/बून्दी</u>

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केशोरायपाटन जिला बून्दी
अपीलार्थी

बनाम

चतुरभुज जाट पुत्र हरिशंकर जाट निवासी बडुन्दा तहसील बून्दी
प्रत्यर्थी

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री सत्यनारायण सोलंकी उप राजकीय अभिभाषक
श्री खडगसिंह वकील प्रत्यर्थी

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांकः.18.6.2018</u>

यह अपील धारा 23(2)ए राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम जोत अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 37/2000 में पारित निर्णय दिनांक 8.4.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि असेसी चतुर्भुज प्रत्यर्थी के पास दिनांक 1.1.73 को ग्राम बडुन्दा में 41 बीघा 19 बिस्वाएवं ग्राम जैथज में 34 बीघा 3 बिस्वा भूमि कुल 76 बीघा 2 बिस्वा भूमि पुराने सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण होने के पश्चात शेष रही। असेसी को नये सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू कर ड्राफट एस्टेटमेन्ट जारी किया गया। असेसी ने जबाब प्रस्तुत कर दिनांक 1.1.73 को उसके पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होना व्यक्त किया एवं बताया कि सहायक कलक्टर बून्दी के निर्णय दिनांक 12.3.76 के अनुसार 15.6 स्टे0 एकड भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है। दिनांक 1.1.73 को असेसी की बहन केसर बाई जीवित थी तथा साबिकखसरा नम्बर 217 रकबा 13 बीघा 2 बिस्सा, 242 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, 1240 रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा तथा 38 रकबा 7 बिस्वा भूमि वाके ग्राम जैथज उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के आदेश दिनांक 28.12.70 द्वारा उनके खाते अंकित की गई है एवं इसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 391 दिनांक 20.7.71 को उसके नाम स्वीकृत किया जा चुका है। असेसी का पुत्र बालिग है जिससे

वह अलग इकाई मानी जावेगी। अतः कार्यवाही समाप्त की जावे। सहायक कलक्टर, केशोराय पाटन ने निर्णय दिनांक 25.4.2000 से असेसी के पास 8 बीघा 12 बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया। इसके विरूद्ध असेसी प्रत्यर्थी ने अतिरिक्त कलक्टर, बून्दी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अतिरिक्त कलक्टर, बून्दी ने निर्णय दिनांक 8.4.2002 से असेसी के पास सीलिंग सीमा से अधिक अधिग्रहण योग्य नहीं होने से अपील स्वीकार कर सहायक कलक्टर का निर्णय निरस्त कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी की सिंचाई क्षमता 76 प्रतिशत होना मानकर निर्णय दिया है जो अनुचित है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य की जांच नहीं की है एवं न ही कोई रिपोर्ट सिंचाई विभाग से प्राप्त की गई है। विवादित भूमि चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में स्थित है जिसकी सिंचाई क्षमता को 76 प्रतिशत नहीं माना जा सकता। विवादित भूमि में कुछ भूमि एक फसली मानी गई है जिसका कोई आधार नहीं है। अतः यह अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय तथ्यों एवं साक्ष्यों पर आधारित है। विवादित भूमि की सिंचाई क्षमता 76 प्रतिशत ही है जो सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत बून्दी जिले की सम्पूर्ण भूमि की सिंचाई क्षमता के दिये गये विवरण के अनुसार है। इसके विपरीत कोई स्थिति होना राज्य पक्ष द्वारा साबित नहीं कराया गया है। असेसी प्रत्यर्थी द्वारा धारित सम्पूर्ण भूमि में से 30.44 बीघा भूमि बारानी है जो एक फसली है जिसका एकड 3.65 ही बनता है जो विधि अनुरूप है। विद्वान अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि असेसी प्रत्यर्थी की बहन के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी, बून्दी द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार 39 बीघा भूमि नामान्तरकरण संख्या 391 से उनकी बहस केसर बाई के नाम दर्ज हो चुकी है जो दिनांक 1.1.73 को असेसी द्वारा धारित भूमि नहीं मानी जा सकती। प्रत्यर्थी असेसी के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं है अतः यह अपील खारिज की जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सहायक कलक्टर, के0 पाटन ने अपने निर्णय दिनांक 25.4.2000 से असेसी वर्तमान प्रत्यर्थी के विरूद्ध नये सीलिंग अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत

कार्यवाही कर असेसी के पास 8 बीघा 12 बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण का आदेश दिया तथा प्रथम अपील में अतिरिक्त कलक्टर बून्दी ने असेसी के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होना मानकर कार्यवाही समाप्त कर दी।

यह स्पष्ट है कि पुराने सीलिंग कानून में भूमि अधिग्रहण होने के बाद असेसी वर्तमान प्रत्यर्थी के धारण में ग्राम बडुन्दा में 41 बीघा 19 बिस्वा एवं ग्राम जैथज में 34 बीघा 3 बिस्वा कुल 76 बीधा 2 बिस्वा निर्धारित तिथि 1.1.73 को थी। अतिरिक्त कलक्टर ने असेसी द्वारा धारित भूमि की सिचांई क्षमता के अनुसार गणना कर निर्णय पारित किया है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि भूमि की सिंचाई क्षमता 76 प्रतिशत मानने का कोई आधार नहीं है। परन्तु विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे विवादित भूमि की सिंचाई क्षमता 76 प्रतिशत से अधिक होना साबित होता हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भूमि 76 प्रतिशत सिंचाई क्षमता के अनुसार गणना कर असेसी के पास निर्धारित तिथि 1.1. 73 को 26.78 एकड भूमि मानी तथा असेसी 27 सकड भूमि धारित कर सकता है, मानते हुए अपील स्वीकार की है। हम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से सहमत है क्योंकि विवादित भूमि की सिंचाई क्षमता 76 प्रतिशत से अधिक होने के संबंध में विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। विवादित भूमि की सिंचाई क्षमता 76 प्रतिशत मानकर गणना करने पर असेसी के पास 26.78 एकड भूमि ही रहती है जो सीलिंग सीमा से कम है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, बून्दी द्वारा असेसी की बहस केसर बाई के पक्ष में दिनांक 28.12. 70 को दिये गये निर्णय व उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण के संबंध में विचार किये जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। अतः हम इस अपील में कोई सार नहीं पाते हैं एवं यह अपील खारिज करना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं अतिरिक्त कलक्टर, बून्दी का निर्णय दिनांक 8.2.2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य